पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

मांग संख्या 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1991.58	670.89	2662.47	2140.04	670.96	2811.00	2017.32	743.39	2760.71	1798.75	4093.25	5892.00
वसूलियां	*-4.03*	*-5.00*	-9.03	...	*-11.00*	*-11.00*	...	*-5.66*	*-5.66*	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**1987.55**	**665.89**	**2653.44**	**2140.04**	**659.96**	**2800.00**	**2017.32**	**737.73**	**2755.05**	**1798.75**	**4093.25**	**5892.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	18.09	...	18.09	18.41	...	18.41	30.21	...	30.21	30.38	0.95	31.33
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें												
2. पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें	378.29	8.55	386.84	604.42	40.00	644.42	661.87	5.00	666.87	757.80	42.20	800.00
	-0.02	...	-0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*378.27*	*8.55*	*386.82*	*604.42*	*40.00*	*644.42*	*661.87*	*5.00*	*666.87*	*757.80*	*42.20*	*800.00*
3. पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें-विशेष विकास परियोजनाएं	133.10	...	133.10	57.45	...	57.45	...	...	...	...	...	...
जोड़-पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें	**511.37**	**8.55**	**519.92**	**661.87**	**40.00**	**701.87**	**661.87**	**5.00**	**666.87**	**757.80**	**42.20**	**800.00**
पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल												
4. पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	512.99	...	512.99	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस)												
5.01 एनईएसआईडीएस कार्यक्रम	627.45	...	627.45	678.79	...	678.79	650.00	...	650.00	44.90	2446.10	2491.00
5.02 पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम	25.00	...	25.00	60.00	...	60.00	0.45	...	0.45	...	...	...
5.03 पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	...	137.81	137.81	550.00	130.00	680.00	453.82	128.73	582.55	...	...	...
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस)	*652.45*	*137.81*	*790.26*	*1288.79*	*130.00*	*1418.79*	*1104.27*	*128.73*	*1233.00*	*44.90*	*2446.10*	*2491.00*
जोड़-पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	**1165.44**	**137.81**	**1303.25**	**1288.79**	**130.00**	**1418.79**	**1104.27**	**128.73**	**1233.00**	**44.90**	**2446.10**	**2491.00**
पूर्वोत्तर क्षेत्र सड़क परियोजनाएं												
6. पूर्वोत्तर राज्य सड़क पीएमयू (एडीबी से सहायता प्राप्त)												
6.01 परियोजना प्रबंधन इकाई	0.54	...	0.54	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	...	...	...
7. पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7.01 कार्यक्रम घटक	...	475.53	475.53	...	435.96	435.96	...	200.00	200.00	...	...	...
7.02 ईएपी घटक	214.04	...	214.04	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	...	...	...
जोड़- पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम	*214.04*	*475.53*	*689.57*	*60.00*	*435.96*	*495.96*	*60.00*	*200.00*	*260.00*	...	...	...
जोड़-पूर्वोत्तर क्षेत्र सड़क परियोजनाएं	**214.58**	**475.53**	**690.11**	**60.30**	**435.96**	**496.26**	**60.30**	**200.00**	**260.30**	**...**	**...**	**...**
विशेष विकास पैकेज												
8. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद	3.31	...	3.31	30.00	...	30.00	6.42	...	6.42	...	...	...
9. कार्बी आंगलांग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद	67.44	...	67.44	40.00	...	40.00	1.55	...	1.55	...	...	...
10. दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद	...	...	...	35.00	...	35.00	2.00	...	2.00	...	...	...
	-1.51	...	-1.51	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*-1.51*	...	*-1.51*	*35.00*	...	*35.00*	*2.00*	...	*2.00*	...	...	...
जोड़-विशेष विकास पैकेज	**69.24**	**...**	**69.24**	**105.00**	**...**	**105.00**	**9.97**	**...**	**9.97**	**...**	**...**	**...**
11. पूर्वोत्तर उद्यम विकास स्कीम (नीडस) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम को ऋण	...	40.00	40.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	60.00	60.00
12. सामाजिक और अवसंरचनागत विकास निधि	...	5.00	5.00	...	11.00	11.00	...	5.66	5.66	...	...	...
	-2.18	-5.00	-7.18	...	-11.00	-11.00	...	-5.66	-5.66	...	...	...
निवल	*-2.18*	...	*-2.18*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. विशेष विकास पैकेज												
13.01 बोडोलैण्ड क्षेत्रीय काउंसिल (बीटीसी) के लिए विशेष पैकेज	...	...	...	...	...	...	23.58	...	23.58	100.00	...	100.00
13.02 कार्बी आंगलोंग (केएएटीसी) के लिए विशेष पैकेज	...	...	...	...	...	...	38.45	...	38.45	100.00	...	100.00
13.03 दिमा हासाओ (डीएचएटीसी) के लिए विशेष पैकेज	...	...	...	...	...	...	33.00	...	33.00	100.00	...	100.00
जोड़- विशेष विकास पैकेज	...	...	...	...	...	...	*95.03*	...	*95.03*	*300.00*	...	*300.00*
14. प्रधान मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-डेव आईएनई)	...	...	...	...	...	...	50.00	350.00	400.00	660.00	1540.00	2200.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**1958.45**	**661.89**	**2620.34**	**2115.96**	**655.96**	**2771.92**	**1981.44**	**733.73**	**2715.17**	**1762.70**	**4088.30**	**5851.00**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
15. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम	11.33	2.00	13.33	5.67	2.00	7.67	5.67	2.00	7.67	5.67	2.00	7.67
	-0.32	...	-0.32	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*11.01*	*2.00*	*13.01*	*5.67*	*2.00*	*7.67*	*5.67*	*2.00*	*7.67*	*5.67*	*2.00*	*7.67*
16. पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**11.01**	**4.00**	**15.01**	**5.67**	**4.00**	**9.67**	**5.67**	**4.00**	**9.67**	**5.67**	**4.00**	**9.67**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**11.01**	**4.00**	**15.01**	**5.67**	**4.00**	**9.67**	**5.67**	**4.00**	**9.67**	**5.67**	**4.00**	**9.67**
कुल जोड़	***1987.55***	***665.89***	***2653.44***	***2140.04***	***659.96***	***2800.00***	***2017.32***	***737.73***	***2755.05***	***1798.75***	***4093.25***	***5892.00***
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	18.09	...	18.09	18.41	...	18.41	30.21	...	30.21	30.38	...	30.38
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	19.13	...	19.13	22.59	...	22.59	22.59	...	22.59	28.26	...	28.26
3. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.20	2.20
4. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.95	0.95
जोड़-सामान्य सेवाएं	**37.22**	**...**	**37.22**	**41.00**	**...**	**41.00**	**52.80**	**...**	**52.80**	**58.64**	**3.15**	**61.79**
सामाजिक सेवाएं												
5. अन्य सामाजिक सेवाएं	-2.18	...	-2.18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**-2.18**	**...**	**-2.18**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
आर्थिक सेवाएं												
6. ग्राम और लघु उद्योगों के लिए ऋण	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00
7. उद्योगों और खनिजों को अन्य ऋण	...	40.00	40.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	60.00	60.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**...**	**44.00**	**44.00**	**...**	**54.00**	**54.00**	**...**	**54.00**	**54.00**	**...**	**64.00**	**64.00**
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	998.14	...	998.14	1816.59	...	1816.59	1894.10	...	1894.10	1740.11	...	1740.11
9. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	954.37	...	954.37	282.45	...	282.45	70.42	...	70.42	...	...	...
10. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	...	621.89	621.89	...	605.96	605.96	...	683.73	683.73	...	4026.10	4026.10
जोड़-अन्य	**1952.51**	**621.89**	**2574.40**	**2099.04**	**605.96**	**2705.00**	**1964.52**	**683.73**	**2648.25**	**1740.11**	**4026.10**	**5766.21**
कुल जोड़	**1987.55**	**665.89**	**2653.44**	**2140.04**	**659.96**	**2800.00**	**2017.32**	**737.73**	**2755.05**	**1798.75**	**4093.25**	**5892.00**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि0	13.33	1.28	14.61	7.67	0.50	8.17	7.67	1.50	9.17	7.67	1.50	9.17
2. पूर्वोत्तर हथकरघा और हस्तशिल्प निगम विकास लि0	2.00	...	2.00	2.00	4.50	6.50	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
जोड़	**15.33**	**1.28**	**16.61**	**9.67**	**5.00**	**14.67**	**9.67**	**1.50**	**11.17**	**9.67**	**1.50**	**11.17**

1. **सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान।

2. **पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें:** ये योजनाएं सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हैं। इनका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, महत्वपूर्ण अंतर पाटने की जरूरत वाले क्षेत्रों को शामिल करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास करना है। इस प्रावधान में पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग के सचिवालय का भी व्यय शामिल है। एनईसी पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को

बांस, सूअर पालन, क्षेत्रीय पर्यटन, उच्च शिक्षा, तृतीयक स्वास्थ्य सेवा, टेलीमेडिसिन, एनईआर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप आदि जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता अनुदान देता है। एनईसी-एसडीपी की योजनाओं के तहत परियोजनाओं को एनईसी की योजनाओं के तहत पूरा किया जाएगा।

3. **पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें-विशेष विकास परियोजनाएं:** एनईसी पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को बांस, सूअर पालन, क्षेत्रीय पर्यटन, उच्च शिक्षा, तृतीयक स्वास्थ्य सेवा, टेलीमेडिसिन, एनईआर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप आदि जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता अनुदान देता है। अब 2022-23 से एनईसी की योजनाओं के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा किया जाएगा।

5.01. **एनईएसआईडीएस कार्यक्रम:** यह प्रावधान नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (एनईएसआईडीएस) के लिए है, जिसे 04.01.2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था ताकि जल आपूर्ति, बिजली, कनेक्टिविटी से संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का केंद्रित विकास सुनिश्चित किया जा सके - विशेष रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाएं; और शिक्षा और स्वास्थ्य के प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएं।

5.02. **पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम:** ईएफसी की सिफारिश के अनुसार, उप-योजना को बंद कर दिया गया है। चालू परियोजनाओं की देनदारी अब 2022-23 से एनईएसआईडी योजना में प्रावधानित है।

5.03. **पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल:** गैर-व्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) का व्यापक उद्देश्य क्षेत्र में विशिष्ट व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं/योजनाओं के लिए बजटीय वित्तपोषण के प्रवाह को बढ़ाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में अवसंरचना का तेजी से विकास सुनिश्चित करना है। यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में परियोजनाओं/योजनाओं को वित्त पोषित करने और 10 प्रतिशत अनिवार्य निर्धारण के माध्यम से उनके द्वारा ली गई परियोजनाओं के अलावा एनईआर में क्षेत्रीय और/या राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की योजनाओं/परियोजनाओं को लागू करने में भी सक्षम बनाता है। प्रावधान केवल चल रही परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए है। ईएफसी की सिफारिशों के अनुसार, एनएलसीपीआर को नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (एनईएसआईडीएस) में मिला दिया गया है।

6. **पूर्वोत्तर राज्य सड़क पीएमयू (एडीबी से सहायता प्राप्त):** योजना (एनईआरएसडीएस)-ईएपी एनईआर में अंतर्राज्यीय उपेक्षित सड़कों के पुनर्वास/निर्माण/उन्नयन के लिए है। एनईआरएसडीएस-ईएपी मार्च, 2023 तक पूरी हो जाएगी। इसलिए 2023-24 में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

7.01. **कार्यक्रम घटक:** योजना (एनईआरएसडीएस)-कार्यक्रम एनईआर में अंतर्राज्यीय उपेक्षित सड़कों के पुनर्वास/निर्माण/उन्नयन के लिए है। ईएफसी सिफारिश के अनुसार योजना के एनईएसआईडीएस (सड़क) घटक के रूप में इस योजना को एनईएसआईडी योजना के साथ विलय कर दिया गया है।

7.02. **ईएपी घटक:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (एनईएसआरआईपी) के लिए है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के निर्माण/उन्नयन के लिए एक एडीबी सहायता प्राप्त परियोजना है। यह योजना 2022-23 में समाप्त हो जाएगी।

8. **बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद:** यह एक विशेष विकास पैकेज है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की अवसंरचनागत एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

9. **कार्बी आंगलांग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद:** यह एक विशेष विकास पैकेज है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की अवसंरचनागत एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

10. **दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद:** यह एक विशेष विकास पैकेज है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की अवसंरचनागत एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

11. **पूर्वोत्तर उद्यम विकास स्कीम (नीडस) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम को ऋण:** पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (नेडफी) को गुवाहाटी स्थित इसके पंजीकृत कार्यालय के साथ 9 अगस्त 1995 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में निगमित किया गया था। नेडफी का उद्देश्य इस क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल अर्थक्षम औद्योगिक अवसंरचनागत एवं कृषि-उद्यानिकी परियोजनाओं की पहचान, वित्तपोषण और संवर्धन द्वारा इस क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। इसका नाम बदलकर उत्तर पूर्व उद्यम विकास योजना (एनईईडीएस) कर दिया गया है। यह प्रावधान नेडफी को दीर्घकालिक सरल ऋण प्रदान करने के लिए किया गया है।

12. **सामाजिक और अवसंरचनागत विकास निधि:** यह अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन के लिए एक विशेष कोष है। एसआईडीएफ के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को 2022-23 में समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए 2023-24 में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

14. **प्रधान मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-डेव आईएनई):** पीएम-डिवाइन का कार्यान्वयन पूर्वोत्तर परिषद/केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से पूर्वोत्तर की आवश्यकताओं पर आधारित पीएम गतिशक्ति, और सामाजिक विकास परियोजनाओं की भावना से प्रेरित होकर अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए किया गया है। यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं केआजीविका गतिविधियों में आने वाले अन्तर को पूरा करने में सक्षम करेगी।

15. **पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम:** पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामेक) एक केन्द्रीय लोक उपक्रम है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि एवं बागवानी उत्पादों के खाद्य प्रसंस्करण एवं व्यापार को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यह प्रावधान इसके व्यापार क्रियाकलापों के लिए निगम द्वारा कार्यशील पूंजी का उपयोग करने के लिए और 18 अगस्त, 2021 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन लिमिटेड (एनईआरएएमएसी) के पुनरुद्धार के लिए व्यय को पूरा करने के लिए भी किया गया है।

16. **पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.:** पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम (एनईएचएचडीसी) को मार्च 1977 में इस क्षेत्र के निर्मित उत्पादों के उत्पाद तथा डिजाइन विकास, प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा उत्पादों के विपणन के लिए विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक इनपुट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। मंत्रालय प्रदर्शनियों में भागीदारी आदि जैसे संवर्द्धनात्मक क्रियाकलापों में होने वाली नकदी हानि की भरपाई के लिए एनईएचएचडीसी को ऋण मुहैया कराता है।